

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून-248001

email id election09@gmail.com

फोन न० (0135) - 2713760, 2713551

फैक्स न० (0135) -2713724

संख्या: 1796/XXV-25/2025

देहरादून

दिनांक 8 अक्टूबर, 2026

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में पंजीकरण से छूटे अथवा पहली बार/युवा मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष अभियान के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 07 अक्टूबर, 2026 को दोहपर 12:30 बजे अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. श्री मनोज रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष/प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
2. श्री अमेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
3. श्री राजकुमार पुरोहित, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
4. श्री अरविन्द कुमार जैन, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
5. श्री सतेन्द्र चोपड़ा, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
6. श्री सत्यपाल, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
7. श्री हिमांशु चौहान, प्रतिनिधि, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मा0)।
8. श्री श्याम बाबू, प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी।

सर्वप्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष अभियान के सम्बन्ध में PPT के माध्यम से अभियान की रूपरेखा, जनपदवार निर्वाचक आंकड़े तथा Special Drive/Camp से संबंधित कार्यवाही से अवगत कराया गया।

2. भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 के पत्र संख्या 23/2025/ERS(Vol-II) के अनुसार विशेष अभियान का उद्देश्य ऐसे पात्र निर्वाचकों की पहचान करना एवं उनका पंजीकरण सुनिश्चित करना है, जो अभी तक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हो सके हैं अथवा जिनका नाम पूर्व में निर्वाचक नामावली में था, परन्तु वर्तमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है। आयोग के अनुसार ASDD सूची के माध्यम से ऐसे मामलों की पहचान एवं पुनः सत्यापन की कार्यवाही की जानी है।

3. बैठक में अवगत कराया गया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दिनांक 08 अक्टूबर, 2026 से 10 अक्टूबर, 2026 तक तीन दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किये जाएंगे। उक्त अवधि में BLO, BAG सदस्य (राजकीय कर्मचारी) तथा BLA-2 मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर पात्र निर्वाचकों के नामांकन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

4. विशेष शिविर के दौरान BLOs द्वारा वर्तमान निर्वाचक नामावली की तुलना Pre-SIR निर्वाचक नामावली से करते हुए ऐसे निर्वाचकों की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पूर्व की निर्वाचक नामावली में थे, किन्तु वर्तमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हैं। ऐसे निर्वाचकों की सूची तैयार कर उनके वर्तमान स्थिति का सत्यापन किया जाएगा।

5. बैठक में अवगत गया कि दिनांक 12 अक्टूबर, 2026 से 20 अक्टूबर, 2026 तक चिन्हित निर्वाचकों के संबंध में H2H (House-to-House) भ्रमण किया जाएगा। BLO द्वारा संबंधित निर्वाचक की वर्तमान स्थिति का सत्यापन करते हुए पात्र पाए जाने पर Form 6 भरने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही भ्रमण के दौरान छूटे हुए/प्रथम बार/युवा निर्वाचकों के पंजीकरण हेतु भी Form 6 भरने की कार्यवाही की जाएगी।

6. आयोग के निर्देशों के क्रम में संबंधित सूची BLA तथा संबंधित मूक्त के साथ साझा किये जाने तथा Form 6 एवं क्षेत्रीय सत्यापन रिपोर्ट सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु मूक्त को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था से भी अवगत कराया गया। ERO द्वारा प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरणों पर नियमानुसार निर्णय लिया जाना है।
7. बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष अभियान को सफल बनाने हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान करने की अपील की गयी। विशेष रूप से अपने-अपने दलों के BLA के माध्यम से पात्र एवं छूटे हुए निर्वाचकों की पहचान, उन्हें पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने तथा अभियान के दौरान विभागीय स्तर पर उपलब्ध करायी जाने वाली सूचनाओं का समुचित उपयोग करने का अनुरोध किया गया।
8. बैठक के दौरान CPI(M) की प्रतिनिधि द्वारा ASDD सूची की उपलब्धता के संबंध में जानकारी चाही गयी। उक्त के क्रम में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध ASDD सूची को देखने/अवलोकन करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया तथा सूची के माध्यम से संबंधित विवरण का अवलोकन किये जाने की प्रक्रिया समझायी गयी।
9. बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि विशेष अभियान के दौरान Booth Level Camps के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार रात्रि आश्रय स्थलों, श्रमिक बस्तियों, बेघर, वन गुज्जर एवं वंचित/सीमांतकृत व्यक्तियों के पंजीकरण हेतु विशेष शिविर आयोजित किये जा सकते हैं। पात्र नागरिकों को अभियान की जानकारी देने हेतु जन-जागरूकता, SVEEP गतिविधियों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय स्तर की पहुँच तथा अन्य उपयुक्त माध्यमों का उपयोग किये जाने के संबंध में भी अवगत कराया गया।
10. बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी कि वे विशेष अभियान के दौरान अपने स्तर से आवश्यक सहयोग एवं समन्वय प्रदान करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से वंचित न रहे।
11. अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा सभी उपस्थित प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विशेष अभियान को सफल बनाने हेतु सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा के साथ बैठक का समापन किया गया।



(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या-1796 / XXV-25/2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

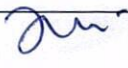
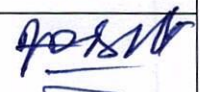
1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रदेश अध्यक्ष/महासचिव/सचिव, मान्यता प्राप्त समस्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यालय प्रति।



(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष अभियान के संबंध में
दिनांक 07 अक्टूबर, 2026 अपराह्न 12:30 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश
स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की उपस्थिति

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	दल सम्बद्धता	मोबाईल नम्बर	ईमेल आई.डी.	उपस्थिति/ प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर
1	राजकुमारपुरोहित	BSP	9412976332		
2	श्यामलाल पाण्डेय	AAP	9411110685		
3	मनोज राव	INC	8393039229		
4	अमरेंद्र बिष्ट	INC	8979132677		
5	सतीश चौधरी	B.S.P.	9368689368		
6	Himanshu Chaudhary	CPI(M)	9058382656		
7	सचिनपाल	B.S.P.	9411353350		
8	Arvind K. Jain Adv.	BJP	9219500537		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					